भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2809

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018/12 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

शिक्षा पर जीएसटी

†**2809. डॉ. उदित राजः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उद्देश्य शिक्षा को मालऔर सेवा कर (जीएसटी) की परिधि से बाहररखने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै;

(ख) क्या उच्च शिक्षा से नीचे के स्तर परजीएसटी में छूट दी गई है और उच्च शैक्षिक संस्थाओंद्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा पर 18 प्रतिशतजीएसटी लगता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौराक्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लियाहै कि आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि जैसेदेशों ने उच्च शिक्षा को कर में छूट दी है और यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) सेवा कर व्यवस्था में मौजूद शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में छूट को जीएसटी शासन में आगे बढ़ाया गया है।इसके अलावा, एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई और उनकोप्रदान की गई कुछ और सेवाओं को भी बाद में जीएसटी से हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर छूट दी गई है।

(ख) जी, नहीं। किसी शैक्षणिक संस्थान द्वाराअपने छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को दीजाने वालीसेवाओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है। शैक्षणिक संस्थान को जीएसटी छूट अधिसूचना के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ऐसा संस्थान, जो निम्नलिखितके माध्यम सेसेवाएं प्रदान कर रहा हो:

(i) प्री-स्कूल शिक्षा औरउच्चतर माध्यमिक विद्यालय तकया समकक्ष शिक्षा,

(ii) इस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भागके रूप में शिक्षा, और

(iii) एक अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा।इस प्रकार, प्री-स्कूल शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जीएसटी छूट अलग-अलग नहीं है।

(ग) ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आदि जैसे देशों में शिक्षा पर जीएसटी या वैट कोपूरी तरह से छूट नहीं दी गई है। भारत में हमने भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों या डिग्री के लिए व्यापकछूट प्रदान की है।ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम और छूट योग्यता प्राप्त की है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत राज्य या योग्यता संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वैट लॉ एजुकेशनल सर्विसेज वैट से मुक्त है और इसके साथ ही इस तरह की सेवा की आपूर्तिकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर दावा नहीं किया जा सकता है।

जीएसटी केअप्रत्यक्ष कर और एक मूल्यसंवर्धित कर होने के नाते, अंततोगत्वाकर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। तथापि, सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपने छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी आउटपुट आपूर्तियों पर जीएसटी छूट देकर जितना संभव हो सके उतना शिक्षा की लागत को कम करने का प्रयास किया है।इसी प्रकार, ऑस्ट्रेलिया जीएसटी और दक्षिण अफ्रीका वैट के अंतर्गत, शिक्षा को पूरी तरह शून्य रेटेड नहीं रखा गया है, जिसका अर्थ है कि शैक्षणिक सेवा की आपूर्ति के संबंध में कुछ इनपुट सेवाएं कर योग्य हैं।कर व्ययों की प्रकृति में होने वाली कर छूट पसंदीदा करदाताओं को अप्रत्यक्ष सब्सिडी है और देश में प्रचलित मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर सरकार द्वारा तय की जाती है।

*****